निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1945 (श0)

(सं0 पटना 632) पटना, सोमवार, 31 जुलाई 2023

सं०–2/आरोप–01–65/2014–11814/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

21 जून 2023

श्री आलोक कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 956/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटरा सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध आरोप है कि इनके द्वारा श्री अशोक साव, ग्राम–बसघट्टा को कपटपूर्वक हलवाई जाति के बदले कानू जाति के प्रमाण–पत्र का निर्गत करने के कारण गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर श्री साव वर्ष 2006 के पंचायत चुनाव में मुखिया पद पर ग्राम पंचायत बसघट्टा प्रखंड कटरा से निर्वाचित हो गये।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6079 दिनांक 23.06.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1313 दिनांक 11.04.2023 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके निष्कर्ष में आरोप को **आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित** किया गया। विभागीय पत्रांक 8756 दिनांक 09.05.2023 द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप के लिए श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक–शून्य दिनांक 18.05.2023 द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया, जिसमें इनका कहना है कि :–

''संचालन पदाधिकारी ने निम्न मंतव्य दिया है–आरोप प्रमाणित करने वाले साक्षी–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा सूचित किया गया है कि रिवीजनल सर्वे खतियान (वर्ष 1971–72) में खाता सं0–145 एवं 184 में ''कानू'' जाति अंकित है एवं खाता सं0–326 एवं 144 में ''हलवाई'' जाति अंकित है। इस प्रकार नये सर्वे खतियान के दो खाता में ''कानू'' एवं दो खाता में ''हलवाई'' जाति अंकित होने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा जानबूझकर गलत जाति प्रमाण–पत्र नहीं निर्गत किया, लेकिन जब विरोधाभाषी अभिलेख हो तो गहन जाँच–पड़ताल कर या सर्वे के आधार पर जाँच कर जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। आरोपी पदाधिकारी ने रूटीन तरीके से जाति प्रमाण–पत्र बना दिया।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा राजस्व कर्मचारी से जाँच कराकर और उपलब्ध रिवीजनल सर्वे खतियान पर जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया। अगर ''जाति प्रमाण–पत्र'' गलत रहता तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा इसे रद्द कर दिया जाता। रद्द करने की कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इससे स्पष्ट होता है कि जाति प्रमाण–पत्र सही निर्गत किया गया था।''

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं लिखित अभिकथन की सम्यक् समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी का कहना है कि विरोधाभाषी अभिलेख होने के कारण से हलवाई के बदले कानू जाति प्रमाण–पत्र आरोपी पदाधिकारी निर्गत किया गया। उनके द्वारा जानबूझकर गलत जाति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया। किन्तु संचालन पदाधिकारी का यह भी कहना है कि जब विरोधाभाषी अभिलेख हो तो गहन जाँच पड़ताल कर Cadastral सर्वे के आधार पर जाँच कर जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करना चाहिए था। श्री कुमार द्वारा बिना भली–भाँति जाँच किये रूटीन तरीके से जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया। यह श्री कुमार के दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं कत्तव्यहीनता को दर्शाता है। श्री कुमार द्वारा श्री अशोक साव, हलवाई जाति के रहते हुए उन्हें कानू जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया। इस जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर श्री अशोक साव वर्ष 2006 के पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत बसघट्टा प्रखंड कटरा से निर्वाचित हो गये। श्री कुमार का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन है।

समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए इनके लिखित अभिकथन को अस्वीकृत किया गया एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत् **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2004–05), (ii) 02 (दो) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक** का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री आलोक कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 956/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटरा मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय– आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत् निम्नांकित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2004–05),

(ii) 02 (दो) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)632-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in